

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/ 322 /

जबलपुर, दिनांक 20 / 01 / 2026

दो-13-63/25

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री अनिल कुमार पांडव, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2025 पर पात्रता अनुसार 225 दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
५५

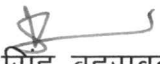
पृष्ठांकन क्र. C/ 323 /

जबलपुर, दिनांक 20 / 01 / 2026

दो-13-63/25

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री अनिल कुमार पांडव, अशर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर मो. नं. 9098638999 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
५५